प्रेस नोट दिनांक- 03.10.2020

(1). आज दिनाँक 03.10.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट का मानसून निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा प्रतिसार निरीक्षक को निम्न आदेश निर्देश दिये गयेः-

(i). महोदय द्वारा जीडी कार्यालय, कैस कार्यालय एवं गणना कार्यालय का निरीक्षण कर जो कमियां पायीं गयी उन्हे पूर्ण करने हेतु सम्बधित कर्मियों एवं प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया।

(ii). गणना कार्यालय में रखे पुराने रिकार्ड को हटवाने हेतु निर्देशित किया गया तथा बाह्य जनपद एवं अन्तर्जनपदीय डियूटी के रजिस्टर का अवलोकन कर, रजिस्टर को अद्यवधिक करने हेतु निर्देशित किया गया।

(iii). गणना कार्यालय में नियुक्त कर्मियों को कार्य वितरण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये गणना मेजर को सख्त निर्देश दिये गये कि कर्मियों को तत्काल कार्य वितरण किया जाये।

(iv). महोदय द्वार प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि CER पर आने वाले कर्मियों को डियूटियों के अलावा विभाग के अन्य कार्यों की सिखलाई दी जाये तथा माह के अन्त में ही आरटी करवाकर CER में लगे कर्मियों को बुलवा लिया जाये।

(v). कैस कार्यालय में नियुक्त कर्मियों को निर्देशित किया गया कि जनपद के कर्मियों के वेतन से कटने वाले मैस एडवांस को एकाउन्टेंट से विवरण प्राप्त कर रजिस्टर में अद्यवधिक करें।

(vi). प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि बाह्य जनपद रवाना हो चुके पुलिस कर्मियों द्वारा आवास खाली नहीं किया गया है, उन्हे नोटिस देकर आवास खाली करवायें तथा उनके द्वारा प्रतिमाह दिये जाने वाली आवासीय कटौती को रजिस्टर में प्रतिमाह अंकित करवायें।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन्स/नगर श्री रजनीश कुमार यादव, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, पीआरओ श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, स्टेनो श्री कमलेश कुमार राव तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाशचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री धनन्जय राय तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0स0207/2020 धारा 354 भादवि0 एवं 08 पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त शिवम मिश्रा पुत्र प्रेम सागर निवासी बरहा कुर्रा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को शिवपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री धनन्जय राय थाना मऊ
2. आरक्षी आशीष सिंह

(3). पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल जनपद चित्रकूट के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चेकिंग अभियान में दिनाँक 02.10.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर कोतवाली कर्वी द्वारा 08 व्यक्तियों के विरुद्ध, थाना भरतकूप द्वारा 01 व्यक्तियों के विरुद्ध तथा थाना बरगढ़ द्वारा 06 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री श्रवण कुमार प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 50 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

1). उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र माताबदल निवासी गोसाईपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को नोनारमोड प्रसिद्ध पुर थाना पहाड़ी से 18 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद की गयी, अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 138/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

2). उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त चुनकारी रैदास पुत्र भगवता रैदास निवासी दरसेडा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को बसहर मोड़ दरसेडा थाना पहाड़ी से 32 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद की गयी, अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 139/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।